पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 मई, 2017 ई0 (ज्येष्ठ 06, 1939 शक सम्वत्) [संख्या–21

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	505–515	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	149–151	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

चिकित्सा अनुभाग–3

कार्यालय ज्ञाप

05 मई, 2017 ई0

संख्या 420/XXVIII–3–2017–62/2010–श्री ताजवर सिंह, औषधि निरीक्षक को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ औषधि निरीक्षक के पद पर, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री ताजवर सिंह को उक्त पद पर 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

3. श्री सिंह के तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे। सम्प्रति श्री सिंह अपना योगदान स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में प्रस्तुत करेंगे।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव।

समाज कल्याण अनुभाग–04

अधिसूचना

17 अप्रैल, 2017 ई0

संख्या 187/XVII–4/2017–243 (स0क0)2002 टी0सी0–I–श्री राज्यपाल महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (अधिनियम 33, वर्ष 1989) (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल की सहमति से इस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण करने के प्रयोजनार्थ, राज्य के प्रत्येक जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय को उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

अमित नेगी,
सचिव।

शुद्धि–पत्र

26 अप्रैल, 2017 ई0

संख्या 213/XVII–4/2017–243 (स0क0)/2002–TC–I–उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 187/XVII–4/2017–243(स0क0)/2002–TC–I, दिनांक 17.04.2017 के पृष्ठांकन में क्रमांक–1 पर महानिबन्धक, मा0 उच्चतम न्यायालय के स्थान पर "महासचिव, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली" पढ़ा जाय।

मनोज चन्द्रन,
अपर सचिव।

राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

23 मई, 2017 ई0

संख्या 187/XVIII (3)/2017–02(05)2016–चूँकि समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना के भूमि अधिग्रहण के कारण व्यक्तियों को गैर–स्वैच्छिक विस्थापन होने की सम्भावना है, ऐसी स्थिति में यथास्थिति पुनर्वासन अथवा पुनर्व्यवस्थापन के लिए;

श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, जनपद टिहरी गढ़वाल के अपर जिलाधिकारी को उनके पद के अतिरिक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करने तथा उक्त धारा की उपधारा (2) में अवसंरचना आदि उपलब्ध कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल महोदय, उपधारा (3) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि एतद्द्वारा नियुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक राज्य सरकार और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की विरचना, निष्पादन और अनुश्रवण प्रशासक में निहित होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 187/XVIII(III)/2017-02(05)/2016,** dated May 23, 2017 for general information.

NOTIFICATION

May 23, 2017

No. 187/XVIII(III)/2017-02(05)/2016--WHEREAS, the State Government is satisfied that there is likely to be non-voluntary displacement of persons due to acquisition of land for Rishikesh-Karnprayag New Broad Gauge Rail Line Project rehabilitation and resettlement as the case may be;

NOW, THEREFORE in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 43 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30, of 2013), the Governor is pleased to **appoint as a rehabilitation and resettlement administrator addition in his duties to the Additional District Magistrate of District Tehri Garhwal** and to provide office infrastructure etc. in the said sub-section (2).

The Governor is also pleased to direct under sub-section (3) that the hereby appointed administrator State Government for rehabilitation and resettlement with subject to the superintendence, directions and control of the Commissioner for rehabilitation and resettlement and the formulation, execution and monitoring of the rehabilitation and resettlement scheme shall be vest in the administrator.

अधिसूचना

23 मई, 2017 ई0

संख्या 195/XVIII (3)/2017–02(03)2016–TC–चूँकि समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना के भूमि अधिग्रहण के कारण व्यक्तियों को गैर–स्वैच्छिक विस्थापन होने की सम्भावना है, ऐसी स्थिति में यथास्थिति पुनर्वासन अथवा पुनर्व्यवस्थापन के लिए;

श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, जनपद रुद्रप्रयाग के अपर जिलाधिकारी को उनके पद के अतिरिक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करने तथा उक्त धारा की उपधारा (2) में अवसंरचना आदि उपलब्ध कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल महोदय, उपधारा (3) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि एतद्द्वारा नियुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक राज्य सरकार और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की विरचना, निष्पादन और अनुश्रवण प्रशासक में निहित होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 195/XVIII(III)/2017-02(03)/2016-TC,** dated May 23, 2017 for general information.

NOTIFICATION

May 23, 2017

No. 195/XVIII(III)/2017-02(03)/2016-TC--WHEREAS, the State Government is satisfied that there is likely to be non-voluntary displacement of persons due to acquisition of land for Rishikesh-Karnprayag New Broad Gauge Rail Line Project rehabilitation and resettlement as the case may be;

NOW, THEREFORE in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 43 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30, of 2013), the Governor is pleased to **appoint as a rehabilitation and resettlement administrator addition in his duties to the Additional District Magistrate of District Rudraprayag** and to provide office infrastructure etc. in the said sub-section (2).

The Governor is also pleased to direct under sub-section (3) that the hereby appointed administrator State Government for rehabilitation and resettlement with subject to the superintendence, directions and control of the Commissioner for rehabilitation and resettlement and the formulation, execution and monitoring of the rehabilitation and resettlement scheme shall be vest in the administrator.

अधिसूचना

23 मई, 2017 ई0

संख्या 198/XVIII (3)/2017–02(04)2016–TC–चूँकि समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज़ रेल लाइन परियोजना के भूमि अधिग्रहण के कारण व्यक्तियों को गैर–स्वैच्छिक विस्थापन होने की सम्भावना है, ऐसी स्थिति में यथास्थिति पुनर्वासन अथवा पुनर्व्यवस्थापन के लिए;

श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, जनपद पौड़ी गढ़वाल के अपर जिलाधिकारी को उनके पद के अतिरिक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करने तथा उक्त धारा की उपधारा (2) में अवसंरचना आदि उपलब्ध कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल महोदय, उपधारा (3) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि एतद्द्वारा नियुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक राज्य सरकार और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की विरचना, निष्पादन और अनुश्रवण प्रशासक में निहित होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 198/XVIII(III)/2017-02(04)/2016-TC,** dated May 23, 2017 for general information.

NOTIFICATION

May 23, 2017

No. 198/XVIII(III)/2017-02(04)/2016-TC--WHEREAS, the State Government is satisfied that there is likely to be non-voluntary displacement of persons due to acquisition of land for Rishikesh-Karnprayag New Broad Gauge Rail Line Project rehabilitation and resettlement as the case may be;

NOW, THEREFORE in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 43 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30, of 2013), the Governor is pleased to **appoint as a rehabilitation and resettlement administrator addition in his duties to the Additional District Magistrate of District Pauri Garhwal** and to provide office infrastructure etc. in the said sub-section (2).

The Governor is also pleased to direct under sub-section (3) that the hereby appointed administrator State Government for rehabilitation and resettlement with subject to the superintendence, directions and control of the Commissioner for rehabilitation and resettlement and the formulation, execution and monitoring of the rehabilitation and resettlement scheme shall be vest in the administrator.

अधिसूचना

23 मई, 2017 ई0

संख्या 199/XVIII (3)/2017–02(45) 2017–श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज़ रेल लाइन परियोजना के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित कुटम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए गढ़वाल मण्डल के आयुक्त को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के रूप में नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. एतद्द्वारा नियुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त, ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज़ रेल लाइन परियोजना की विरचना का अधीक्षण करने और उक्त परियोजना के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक सम्परीक्षा के लिये उत्तरदायी होगा।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 199/XVIII(III)/2017-02(45)/2017,** dated May 23, 2017 for general information.

NOTIFICATION

May 23, 2017

No. 199/XVIII(III)/2017-02(45)/2017--In exercise of the powers conferred by section 44 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to appoint Commissioner, Garhwal region for Rishikesh-Karnprayag New Broad Gauge Rail Line Project Rehabilitation and Resettlement to the concerning region Commissioner for the Rehabilitation and Resettlement of the affected families.

2. Hereby appointed Commissioner for Rehabilitation and Resettlement shall be responsible for the appropriate implementation and to superintendent of monitoring for Rishikesh-Karnprayag New Broad Gauge Rail Line Project and shall also be responsible of social audit after the implementation from the advice of Gram Sabha in Rural areas and Nagar Palika in the Urban areas.

अधिसूचना

23 मई, 2017 ई0

संख्या 203/XVIII (3)/2017–02(46)2017–चूँकि, समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज़ रेल लाइन परियोजना के लिए जनपद टिहरी में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि एक सौ एकड़ के बराबर या उससे अधिक अर्थात् 144.077 एकड़ (58.321 हे0) है;

अतः, अब, श्री राज्यपाल महोदय, समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 45(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करने और उसका पुनर्विलोकन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक सम्परीक्षा करने के लिए सम्बन्धित कलेक्टर की अध्यक्षता में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री राज्यपाल महोदय, उपधारा (2) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति में समुचित सरकार के अधिकारियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्–

(क) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाली स्त्रियों की एक प्रतिनिधि;

(ख) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि;

(ग) क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी स्वैच्छिक संगठन का एक प्रतिनिधि;

(घ) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का एक प्रतिनिधि;

(ङ) परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी;

(च) प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित पंचायतों या नगरपालिकाओं के अध्यक्ष या उनके नामिनिर्देशिती;

(छ) जिला योजना समिति का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती;

(ज) सम्बन्धित क्षेत्र का संसद सदस्य और विधान सभा का सदस्य या उनके नामिनिर्देशिती;

(झ) अपेक्षक निकाय का एक प्रतिनिधि; और

(ञ) सदस्य–संयोजक के रूप में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 203/XVIII(III)/2017-02(46)/2017,** dated May 23, 2017 for general information.

NOTIFICATION

May 23, 2017

No. 203/XVIII(III)/2017-02(46)/2017--WHEREAS, the appropriate Government is satisfied that the land purposed to be acquired is equal to or more than one hundred acre i.e. 144.077 acre (58.321 Hac.) in District Tehri for Rishikesh-Karnprayag New Broad Gauge Rail Line Project;

NOW, THEREFORE in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 45 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute following rehabilitation and resettlement committee for the social audit after the implementation of advice of Gram Sabha in Rural areas and Nagar Palika in the Urban areas and monitoring and his review of the progress of implementation of the rehabilitation and resettlement scheme.

2. The Governor is pleased also directed under sub-section (2) that in addition of the officers of the appropriate Government the following members shall be the member of the rehabilitation and resettlement committee :

(a) a representative of women residing in the affected area;

(b) a representative each of the scheduled castes and the scheduled tribes residing in the affected area;

(c) a representative of a voluntary organization working in the area;

(d) a representative of a nationalised bank;

(e) the Land Acquisition Officer of the project;

(f) the Chairpersons of the panchayats or municipalities located in the affected area or their nominees;

(g) the Chairperson of the District Planning Committee or his nominee;

(h) the Member of Parliament and member of the Legislative Assembly of the concerned area or their nominees;

(i) a representative of the Requiring Body; and

(j) administrator for Rehabilitation and Resettlement as the Member-Convener.

अधिसूचना

23 मई, 2017 ई0

संख्या 205/XVIII (3)/2017–02(21)2016–TC–चूँकि समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज़ रेल लाइन परियोजना के भूमि अधिग्रहण के कारण व्यक्तियों को गैर–स्वैच्छिक विस्थापन होने की सम्भावना है, ऐसी स्थिति में यथास्थिति पुनर्वासन अथवा पुनर्व्यवस्थापन के लिए;

श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, जनपद चमोली के अपर जिलाधिकारी को उनके पद के अतिरिक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करने तथा उक्त धारा की उपधारा (2) में अवसंरचना आदि उपलब्ध कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल महोदय, उपधारा (3) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि एतद्द्वारा नियुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक राज्य सरकार और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की विरचना, निष्पादन और अनुश्रवण प्रशासक में निहित होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 205/XVIII(III)/2017-02(21)/2016-TC,** dated May 23, 2017 for general information.

NOTIFICATION

May 23, 2017

No. 205/XVIII(III)/2017-02(21)/2016-TC--WHEREAS, the State Government is satisfied that there is likely to be non-voluntary displacement of persons due to acquisition of land for Rishikesh-Karnprayag New Broad Gauge Rail Line Project rehabilitation and resettlement as the case may be;

NOW, THEREFORE in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 43 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30, of 2013), the Governor is pleased to **appoint as a rehabilitation and resettlement administrator addition in his duties to the Additional District Magistrate of District Chamoli** and to provide office infrastructure etc. in the said sub-section (2).

The Governor is also pleased to direct under sub-section (3) that the hereby appointed administrator State Government for rehabilitation and resettlement with subject to the superintendence, directions and control of the Commissioner for rehabilitation and resettlement and the formulation, execution and monitoring of the rehabilitation and resettlement scheme shall be vest in the administrator.

अधिसूचना

23 मई, 2017 ई0

संख्या 274/XVIII (3)/2017–02(46)2017–चूँकि, समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज़ रेल लाइन परियोजना के लिए जनपद टिहरी में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि एक सौ एकड़ के बराबर या उससे अधिक अर्थात् 144.077 एकड़ (58.321 हे0) है;

अतः, अब, श्री राज्यपाल महोदय, समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 45(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करने और उसका पुनर्विलोकन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक सम्परीक्षा करने के लिए, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति का निम्न प्रकार गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1.	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष,
2.	मुख्य विकास अधिकारी	–	सदस्य,
3.	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी	–	सदस्य,
4.	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी	–	सदस्य,
5.	सम्बन्धित नायब तहसीलदार	–	सदस्य।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 274/XVIII(III)/2017-02(46)/2017,** dated May 23, 2017 for general information.

NOTIFICATION

May 23, 2017

No. 274/XVIII(III)/2017-02(46)/2017--WHEREAS, the appropriate Government is satisfied that the land purposed to be acquired is equal to or more than one hundred acre i.e. 144.077 acre (58.321 Hac.) in Tehri for Rishikesh-Karnprayag New Broad Gauge Rail Line Project;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 45 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute following rehabilitation and resettlement committee for the social audit after the implementation of advice of Gram Sabha in rural areas and Nagar Palika in the urban areas and monitoring and his review of the progress of implementation of the rehabilitation and resettlement scheme :

1.	District Magistrate	–	Chairman;
2.	Chief Development Officer	–	Member;
3.	Concerning SDM	–	Member;
4.	Concerning Block Development Officer	–	Member;
5.	Concerning Naib Tahsildar	–	Member.

अधिसूचना

23 मई, 2017 ई0

संख्या 275/XVIII (3)/2017–02(46)2017–चूँकि, समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज़ रेल लाइन परियोजना के लिए जनपद चमोली में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि एक सौ एकड़ के बराबर या उससे अधिक अर्थात् 117.181 एकड़ (47.442 हे0) है;

अतः, अब, श्री राज्यपाल महोदय, समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 45(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करने और उसका पुनर्विलोकन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक सम्परीक्षा करने के लिए सम्बन्धित कलेक्टर की अध्यक्षता में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री राज्यपाल महोदय, उपधारा (2) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति में समुचित सरकार के अधिकारियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्–

(क) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाली स्त्रियों की एक प्रतिनिधि;

(ख) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि;

(ग) क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी स्वैच्छिक संगठन का एक प्रतिनिधि;

(घ) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का एक प्रतिनिधि;

(ङ) परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी;

(च) प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित पंचायतों या नगरपालिकाओं के अध्यक्ष या उनके नामिनिर्देशिती;

(छ) जिला योजना समिति का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती;

(ज) सम्बन्धित क्षेत्र का संसद सदस्य और विधान सभा का सदस्य या उनके नामिनिर्देशिती;

(झ) अपेक्षक निकाय का एक प्रतिनिधि; और

(ञ) सदस्य–संयोजक के रूप में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 275/XVIII(III)/2017-02(46)/2017,** dated May 23, 2017 for general information.

NOTIFICATION

May 23, 2017

No. 275/XVIII(III)/2017-02(46)/2017--WHEREAS, the appropriate Government is satisfied that the land purposed to be acquired is equal to or more than one hundred acre i.e. 117.181 acre (47.442 Hac.) in District Chamoli for Rishikesh-Karnprayag New Broad Gauge Rail Line Project;

NOW, THEREFORE in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 45 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute following rehabilitation and resettlement committee for the social audit after the implementation of advice of Gram Sabha in Rural areas and Nagar Palika in the Urban areas and monitoring and his review of the progress of implementation of the rehabilitation and resettlement scheme.

2. The Governor is pleased also directed under sub-section (2) that in addition of the officers of the appropriate Government the following members shall be the member of the rehabilitation and resettlement committee :

(a) a representative of women residing in the affected area;

(b) a representative each of the scheduled castes and the scheduled tribes residing in the affected area;

(c) a representative of a voluntary organization working in the area;

(d) a representative of a nationalised bank;

(e) the Land Acquisition Officer of the project;

(f) the Chairpersons of the panchayats or municipalities located in the affected area or their nominees;

(g) the Chairperson of the District Planning Committee or his nominee;

(h) the Member of Parliament and member of the Legislative Assembly of the concerned area or their nominees;

(i) a representative of the Requiring Body; and

(j) administrator for Rehabilitation and Resettlement as the Member-Convener.

अधिसूचना

23 मई, 2017 ई0

संख्या 276/XVIII (3)/2017–02(46)2017–चूँकि, समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज़ रेल लाइन परियोजना के लिए जनपद चमोली में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि एक सौ एकड़ के बराबर या उससे अधिक अर्थात् 117.181 एकड़ (47.442 हे0) है;

अतः, अब, श्री राज्यपाल महोदय, समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 45(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करने और उसका पुनर्विलोकन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक सम्परीक्षा करने के लिए, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति का निम्न प्रकार गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1.	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष,
2.	मुख्य विकास अधिकारी	–	सदस्य,
3.	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी	–	सदस्य,
4.	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी	–	सदस्य,
5.	सम्बन्धित नायब तहसीलदार	–	सदस्य।

आज्ञा से,

हरबंस सिंह चुघ,
प्रभारी सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 276/XVIII(III)/2017-02(46)/2017,** dated May 23, 2017 for general information.

NOTIFICATION

May 23, 2017

No. 276/XVIII(III)/2017-02(46)/2017--WHEREAS, the appropriate Government is satisfied that the land purposed to be acquired is equal to or more than one hundred acre i.e. 117.181 acre (47.442Hac.) in District Chamoli for Rishikesh-Karnprayag New Broad Gauge Rail Line Project;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 45 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute following rehabilitation and resettlement committee for the social audit after the implementation of advice of Gram Sabha in rural areas and Nagar Palika in the urban areas and monitoring and his review of the progress of implementation of the rehabilitation and resettlement scheme :

1.	District Magistrate	–	Chairman;
2.	Chief Development Officer	–	Member;
3.	Concerning SDM	–	Member;
4.	Concerning Block Development Officer	–	Member;
5.	Concerning Naib Tahsildar	–	Member.

By Order,

HARBANS SINGH CHUGH,

In-charge Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 21 हिन्दी गजट/267—भाग 1—2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 मई, 2017 ई0 (ज्येष्ठ 06, 1939 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल

आदेश

29 अप्रैल, 2017 ई0

पत्र संख्या 151/सा0प्रशा0/नोटिस/2017–18–दिनांक 17.04.2017 को मार्ग चेकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन संख्या यू0के0 12डी–0996 (मोटर साइकिल) का चालान, एक सवारी अधिक बैठाने, वाहन का संचालन बिना हेलमेट पहने एवं आर0सी0, आई0सी0, पीयूसीसी प्रस्तुत नहीं करने के अभियोग में किया गया। उक्त अनियमितता के लिये प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन चालक श्री मनीष जोशी पुत्र श्री गिरेन्द्र जोशी, निवासी ग्राम मवाकोट, तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल के चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0–1520140028618 के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। इस सम्बन्ध में वाहन चालक को कार्यालय से पत्रांक 91/सा0प्रशा0/लाइ0 नोटिस/2016–17, दिनांक 20.04.2017 प्रेषित किया। जिसके अनुपालन में वाहन चालक दिनांक 27.04.2017 को कार्यालय में उपस्थित हुए और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए, क्षमा चाही गयी है एवं भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई।

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी के रूप में, मैं, रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0–1520140028618 को दिनांक 29.04.2017 से दिनांक 28.07.2017 (तीन माह) तक की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ।

आदेश

29 अप्रैल, 2017 ई0

पत्र संख्या 152/सा0प्रशा0/नोटिस/2017–18–दिनांक 18.04.2017 को मार्ग चेकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन संख्या यू0के0 07ए0एम0–7678 (एल0एम0वी0, कार) का चालान वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग एवं पी0यू0सी0सी0 प्रस्तुत नहीं करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के लिये प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन चालक श्री शिवप्रसाद डबराल पुत्र श्री जर्नादन प्रसाद डबराल, निवासी ग्राम हल्दूखाता, पो0 कलालघाटी, तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल के चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0–1520010001355 के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। इस सम्बन्ध में वाहन चालक को कार्यालय से पत्रांक 93/सा0प्रशा0/लाइ0नोटिस/2016–17, दिनांक 20.04.2017 को नोटिस प्रेषित किया। जिसके अनुपालन में वाहन चालक दिनांक 28.04.2017 को कार्यालय में उपस्थित हुए और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए, अपने अपराध की क्षमा चाही गई है एवं भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई है।

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी के रूप में, मैं, रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0–1520010001355 को दिनांक 29.04.2017 से दिनांक 28.07.2017 (तीन माह) तक की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ।

आदेश

29 अप्रैल, 2017 ई0

पत्र संख्या 153/सा0प्रशा0/नोटिस/2017–18–दिनांक 25.04.2017 को मार्ग चेकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन संख्या यू0के0 15–9145 (स्कूटर) का चालान, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग एवं बिना हेलमेट वाहन का संचालन किया जा रहा है। उक्त अनियमितता के लिये प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन चालक श्री आशीष कुमार देवरानी पुत्र श्री विनय कुमार, निवासी काशीरामपुर तल्ला, कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल को इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या 1606/केटीडब्लू/08, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। इस सम्बन्ध में वाहन चालक को कार्यालय से पत्रांक 122/सा0प्रशा0/लाइ0–नोटिस/2016–17, दिनांक 20.04.2017 प्रेषित किया गया। जिसके अनुपालन में वाहन चालक दिनांक 29.04.2017 को कार्यालय में उपस्थित हुए और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए क्षमा चाही गई एवं भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई।

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी के रूप में, मैं, रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उक्त चालक लाइसेन्स संख्या 1606/केटीडब्लू/08 को दिनांक 29.04.2017 से दिनांक 28.07.2017 (तीन माह) तक की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ।

आदेश

29 अप्रैल, 2017 ई0

पत्र संख्या 154/सा0प्रशा0/नोटिस/2017–18–दिनांक 17.04.2017 को मार्ग चेकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन संख्या यू0के0 12बी–8610 (मोटर साइकिल) का चालान आई0सी0, पी0यू0सी0सी0 प्रस्तुत नहीं एवं वाहन का संचालन बिना हेलमेट किये जाने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के लिए प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन चालक श्री नवीन अधिकारी पुत्र श्री हरि सिंह अधिकारी, निवासी ग्राम भुवदेवपुर, तहसील कोटद्वार, जनपदर पौड़ी गढ़वाल के चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0–1520110013329 के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। इस सम्बन्ध में वाहन चालक को कार्यालय से पत्रांक 89/सा0प्रशा0/लाइ0–नोटिस/2016–17, दिनांक 20.04.2017, प्रेषित किया। जिसके अनुपालन में वाहन चालक दिनांक 28.04.2017 को कार्यालय में उपस्थित हुए और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए, अपने अपराध के लिये क्षमा चाही गई एवं भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई।

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी के रूप में, मैं, रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0–1520110013329 को दिनांक 29.04.2017 से दिनांक 28.07.2017 (तीन माह) तक की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ।

रावत सिंह,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
कोटद्वार, गढ़वाल।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग

आदेश

01 मई, 2017 ई0

संख्या 125/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2016–श्री कपिल चौहान पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्राम डमार, पो0 भीरी, जिला रूद्रप्रयाग का पुलिस विभाग द्वारा दिनांक 23.02.2017 को शराब पीकर वाहन संचालन करने के अभियोग में चालान कर, इनके लाइसेन्स संख्या यू0के0–1320150008173, जो इस कार्यालय द्वारा MCWG(NT), LMV(NT) हेतु जारी किया गया है व जिसकी वैधता 17.08.2035 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यावाही किये जाने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा पत्रांक 1159/सा0प्रशा0/2016, दिनांक 07.03.2017 के माध्यम से श्री कपिल चौहान पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्राम डमार, पो0 भीरी, जिला रूद्रप्रयाग को नोटिस प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में इनके द्वारा कोई प्रत्युत्तर इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ।

अतः, दुघटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं, पंकज श्रीवास्तव, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, आपके लाइसेन्स संख्या यू0के0–1320150008173 (वैधता उपरोक्त) को दिनांक 01.05.2017 से 31.07.2017 तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ।

पंकज श्रीवास्तव,

प्र0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 21 हिन्दी गजट/267–भाग 1–क–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।